If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Member Secretary, Commission for Agricultural Costs and Prices —Chairman ; 2. Director/Joint Director, Commission for Agricultural Costs and Prices —Member ; 3. Under Secretary (EA), Department of Agriculture and Cooperation —Member ; 4. Administrative Officer, Commission for Agricultural Costs and Prices —Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/7/2013-EA]

A. K. ARORA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 78.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण संगठन (सहायक फील्ड आफिसर) भर्ती नियम, 2005, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण में सहायक फील्ड आफिसर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण (सहायक फील्ड आफिसर) भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक फील्ड आफिसर	136* *(2015) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रुपये	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवक के मामले में 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मृदा विज्ञान या मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विषय सहित कृषि में एम एस सी डिग्री	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(7)	
टिप्पण : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारण लेखबद्ध करके विवेकानुसार शिथिल कर सकेगी ।	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा :- **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों, जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) :– 1. मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा और भूमि-उपयोग सर्वेक्षण —अध्यक्ष 2. उपायुक्त, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन या वर्षा आधारित खेती प्रणाली प्रभाग, कृषि और सहकारिता विभाग —सदस्य 3. अवर सचिव, संबद्ध प्रभाग, कृषि और सहकारिता विभाग —सदस्य 4. कार्यालय का प्रधान (मुख्यालय), भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण —सदस्य	इन नियमों के अधीन भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. 16-7/2013-एनआरएम-II]

प्रदीप श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 10th April, 2015

G.S.R. 78.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey Organisation (Assistant Field Officer) Recruitment Rules, 2005 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Field Officer in the Soil and Land Use Survey of India, Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Assistant Field Officer) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale .— The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

Disqualification. — No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Field Officer	136* *(2015) Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-2, Rs. 9300–34800 with grade pay of Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note :** The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of

	(6)
	application from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential- M. Sc. Degree in Agriculture with Soil Science or Soil Science and Agriculture Chemistry as a subject from a recognised University or Institute. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made
(10)	(11)
By direct recruitment : **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding	Not applicable

(10)	
this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group "B" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India —Chairman 2. Deputy Commissioner of the Natural Resource Management or Rainfed Farming System Division of Department of Agriculture and Cooperation —Member 3. Under Secretary of the concerned Division in the Department of Agriculture and Cooperation —Member 4. Head of Office (Head Quarters Office), Soil and Land Use Survey of India —Member	Consultation with UPSC not necessary for making recruitment under these rules.

[F. No. 16-7/2013-NRM-II]

PRADEEP SRIVASTAVA, Under Secy.

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2015

सा.का.नि. 79.—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33छ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 160ङ और 160च के तहत निर्धारित कर्तव्यों के निष्पादनार्थ संपूर्ण भारत के लिए आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधों के संबंध में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारियों को एतद्वारा नियुक्त करती है :-

क्र. सं.	नाम तथा पदनाम
(1)	(2)
1.	डॉ. ए. रघु, उप सलाहकार (आयुर्वेद), आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय
2.	डॉ. एम. ए. कासनी, उप सलाहकार (यूनानी), आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय
3.	डॉ. सुरेश कुमार, अनुसंधान अधिकारी (आयुर्वेद), आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय
4.	डॉ. मुज़ामिल रहमान, अनुसंधान अधिकारी (यूनानी), आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय
5.	डॉ. मोहम्मद आरिफ, अनुसंधान अधिकारी (यूनानी), आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय
6.	डॉ. रेम्या ई., अनुसंधान अधिकारी (आयुर्वेद), आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय